UPSI010059492022

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 14/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) सीतापुर

उपस्थित :—भगीरथ वर्मा (एच0जे0एस0)

विशेष परीक्षण सं0 54/2022

उत्तर प्रदेश राज्य ———————— अभियोजन पक्ष

बनाम

अजय पुत्र रामसहाय निवासी ग्राम सरौरा थाना कमलापुर जिला सीतापुर ——— अभियुक्त

मु0अ0 संख्या—182/2022
धारा—363,366,376,507 भा0दं0सं0 व 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012
थाना—सिधौली, जिला—सीतापुर।

निर्णय

1. पुलिस थाना सिधौली, जिला सीतापुर द्वारा प्रेषित आरोप—पत्र पर संज्ञान लिये जाने के उपरान्त अभियुक्त अजय का विचारण इस न्यायालय द्वारा धारा 363, 366, 376, 507 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के आरोपों में किया गया है।

2. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बलात्कार एवं यौन उत्पीड़न से सम्बन्धित मामलों में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में पीड़िता के नाम के स्थान पर निर्णय में 'पीड़िता' शब्द का प्रयोग किया जाएगा।

3. सुविधा की दृष्टि से इस निर्णय में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 को 'पॉक्सो एक्ट' नाम से सम्बोधित किया जाएगा।

4. अभियोजन पक्ष का कथन संक्षेप में यह है कि वादिनी मुकदमा द्वारा थाने पर इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की गयी है कि विपक्षिणी सीमा का मायका व वादिनी का मायका झण्डिया मजरा कौरासा थाना—रामपुर कला, जनपद—सीतापुर का है, जिससे विपक्षिणी सीमा से वादिनी का रिश्ता है। विपक्षी संख्या—2 अजय पुत्र रामसहाय सीमा का फुफेरा भाई है और विपक्षी संख्या—3 बाबू पुत्र मुल्लू सीमा का सगा भांजा है। विपक्षी संख्या—1 सीमा हमेशा चोरी से वादिनी की पुत्री उम्र 14 वर्ष से फोन पर बातचीत कराया करती थी। विपक्षिणी सीमा के सह पर, जब दिनांक 13.05.2022 को वादिनी दवा देने गयी थी, तभी समय करीब 02.30 बजे दिन में विपक्षी अजय के साथ सीमा ने भिजवा दिया। वादिनी घर आयी तो पुत्री को गायब देखकर गाँव घर व रिश्तेदारी में पता लगाया, कहीं पता नहीं चलने पर वादिनी ग्राम प्रधान के पास गयी तो प्रधान ने चौकी पर फोन किया, जिसपर 100 नम्बर पर पुलिस आयी और विपक्षी अजय के फोन नम्बर 9996879567 पर बात किया तो अजय आले—वाले बताता रहा, जिसपर पुलिस द्वारा टाइट करने पर विपक्षी कल रात ही उसकी पुत्री को उसकी फुफुवा सास के घर पर छोड़कर भाग गया। विपक्षी अजय फोन पर उसे जान से मार डालने की धमकी दे रहा है।

5. वादिनी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र के आधार पर थाना—सिधौली, जिला—सीतापुर में मुकदमा अपराध संख्या 182/2022,

अन्तर्गत धारा 363, 366, 507 भारतीय दण्ड संहिता अभियुक्तगण सीमा, अजय व राजू के विरूद्ध दर्ज किया गया तथा मामले से सम्बन्धित अन्य समस्त औपचारिकता पूर्ण कर मुकदमें का इन्द्राज जी0डी0 में किया गया।

6. प्रस्तुत प्रकरण में विवेचक द्वारा विवेचना प्रारम्भ की गई एवं घटना–स्थल का निरीक्षण कर नक्शा–नजरी तैयार किया गया तथा विवेचक द्वारा मामले से सम्बन्धित अन्य समस्त औपचारिकता पूर्ण कर अभियुक्त अजय के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आरोप–पत्र अन्तर्गत धारा 363, 366, 376, 507 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3/4 पॉक्सो ऐक्ट न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

7. आरोप–पत्र पर प्रसंज्ञान लिए जाने के उपरान्त दिनांक 25.11.2022 को अभियुक्त के विरूद्ध धारा 363, 366, 376, 507 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3/4 पॉक्सो ऐक्ट का आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने लगाये गये आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

8. अभियोजन पक्ष द्वारा अपने कथन को सिद्ध करने के लिये निम्न साक्षीगण परीक्षित कराये गये :–

क्रम संख्या	साक्षी संख्या	नाम साक्षी
1	पी0डब्लू0–1	जानकी
2	पी0डब्लू0–2	पीड़िता
3	पी0डब्लू0–3	डॉ0 कमलेश
4	पी0डब्लू0–4	एस0आई0 पारसनाथ सिंह

9. अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित अभिलेखीय साक्ष्यों को नियमानुसार साबित कराया गया है व उन पर प्रदर्श अंकित किये गये है :–

क0सं0	प्रपत्र	प्रदर्श	साबित करने वाले साक्षी का नाम
1	तहरीर	क–1	जानकी
2	बयान धारा 164 दं0प्र0सं0	क–2	पीड़िता
3	मेडिकल रिपोर्ट	क–3	डॉ0 कमलेश
4	पूरक आख्या	क–4	डॉ0 कमलेश
5	चिक एफ0आई0आर0	क–5	पारसनाथ सिंह
6	जी0डी0	क–6	पारसनाथ सिंह

10. शेष अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता बचाव पक्ष की ओर से स्वीकार की गयी। तदोपरान्त अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य समाप्त की गयी।

11. अभियोजन साक्ष्य पूर्ण होने के उपरान्त अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त द्वारा घटना को गलत होना कहा गया तथा मुकदमा रंजिशन चलना बताया और सफाई–साक्ष्य से इन्कार किया।

12. मैंने विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का भलीभांति परिशीलन किया।

13. अभियुक्त पर लगाये गये आरोपों को साबित करने के लिये अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षीगण की मुख्य परीक्षा का सारांश दिया जा रहा है, जो निम्नवत है:–

14. पी0डब्लू0 1 के रूप में परीक्षित साक्षी जानकी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह अभिकथित किया गया है कि मैं पढ़ी–लिखी नहीं हूँ। घटना की तारीख मुझे याद नहीं है। घटना को नवां महीना चल रहा है। घटना वाले दिन मैं बीमार थी। मैं अस्पताल गयी थी। जब मैं अस्पताल में थी, तब मेरे घर पर छोटे–छोटे बच्चे थे। फिर मेरी चचेरी बहन सीमा ने अजय को फोन करके बुलाया, सीमा ने मेरी बेटी पीड़िता, जिसकी उम्र घटना के समय चौदह वर्ष थी, उससे कहा कि तुम्हारी मम्मी को होश नहीं आ रहा है, उसको सीतापुर ले गये हैं। तुम्हारी मम्मी ने तुमको बुलाया है। तब अजय मेरी बेटी को लेकर सिधौली आये। दो–चार अस्पतालों में ढूँढ़ा, देखा नहीं मिले, तब अजय व मेरी बेटी सिधौली में रुक गये। जब मैं अस्पताल से घर आयी तो मेरी बेटी नहीं मिली तो मैंने उसको ढूंढ़ना शुरु किया, फिर मैं प्रधान के यहाँ गयी तो प्रधान ने 100 नम्बर पर फोन मिलाकर पुलिस बुलायी। जब पुलिस ने अजय को फोन पर टाइट किया, तब अजय मेरी लड़की को खरबलिया गाँव में मेरी फुफुवा सास के यहाँ छोड़कर भाग गये। अगले दिन सुबह मैं थाने रिपोर्ट लिखाने गयी। तहसील मे एक टाइप वाले से घटना के बारे में बोल–बोलकर एक प्रार्थना–पत्र टाइप कराया था। टाइप करने के बाद उसने मुझे पढ़कर सुनाया था, जो बोला था वहीं टाइप किया था। तब मैंने उस पर अपना अंगूठा लगाकर थाने पर दिया था, जिस पर मेरी रिपोर्ट लिखी गयी थी। इस साक्षी द्वारा तहरीर प्रदर्श क–1 को साबित किया गया है।

15. पी0डब्लू0 2 के रूप में परीक्षित साक्षी पीड़िता द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह अभिकथित किया गया है कि घटना की तारीख मुझे नहीं मालूम है। घटना के डेढ़ साल के ऊपर हो गया है। मेरे परिवार के बीच व अजय के परिवार से पूर्व से विवाद चल रहा था। मेरी मम्मी का अजय की मामा की लड़की सीमा के मध्य कहासुनी हुई थी। मेरी मम्मी बीमार थी। भगौतीपुर चौराहा पर अस्पताल में भर्ती थी। मैं अपनी मम्मी को देखने गयी थी। अस्पताल के पास से मैं अजय के साथ चली गयी थी। फिर अजय मुझे अपनी बुआ के घर पर खरबलिया छोड़कर चले गये थे। खरबलिया से मम्मी के साथ पुलिस वाले मुझे पकड़कर लाये थे। मुझसे पुलिस ने पूछताछ नहीं की थी। मम्मी ने मारने–पीटने की मुझे धमकी दी थी कि जो मैं बताऊं वहीं बयान दो। मैंने अपनी डाक्टरी कराने से डाक्टर को मना कर दिया था। मैं अजय से प्यार करती थी। इसी बात से मेरी माँ नाराज रहती थी। मेरा बयान मजिस्ट्रेट साबह ने कराया था। मेरे साथ अजय ने बिना मेरी मर्जी के कोई भी गलत काम नहीं किया था। इस साक्षी द्वारा बयान अन्तर्गत धारा–164 दं०प्र०सं० प्रदर्श क–2 को साबित किया गया है।

16. पी0डब्लू0 3 के रूप में परीक्षित साक्षी डॉ0 कमलेश द्वारा पीड़िता का मेडिकल किया गया है तथा मेडिकल रिपोर्ट को प्रदर्श क–3 व पूरक रिपोर्ट को प्रदर्श क–4 के रूप में साबित किया गया है।

17. पी0डब्लू0 4 के रूप में परीक्षित साक्षी एस०आई० पारस नाथ सिंह द्वारा चिक एफ०आई०आर० को प्रदर्श क–5 व जी०डी० को प्रदर्श क–6 के रूप में साबित किया गया है।

18. बचाव पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है।

19. **पॉक्सो अधिनियम एक विशेष अधिनियम है तथा इसकी धारा 29 स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करती है** कि–जहां एक व्यक्ति, इस अधिनियम की धाराओं 3,5,7 एवं 19 के अधीन किसी अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरित करने या प्रयास करने या करने के लिए अभियोजित किया जाता है, विशेष न्यायालय उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने अपराध को किया है या दुष्प्रेरित किया है या करने का प्रयास किया है, जैसा भी मामला हो, जब तक विपरीत साबित नहीं किया जाता है।

20. इस प्रकार पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध कारित करने के सम्बन्ध में उपधारणा किये जाने का प्रावधान करती है, परन्तु यह उपधारणा अखण्डनीय नहीं है। इसे साक्ष्य के माध्यम से खण्डित किया जा सकता है।

21. इस सम्बन्ध में निम्नलिखित विधि निर्णायज उल्लेखनीय हैं–

1– मोनू ठाकुर बनाम उ0प्र0 राज्य, 2022(2) जे0आई0सी0 789 (इलाहाबाद)–इस विधि निर्णायज में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत सृजित उपधारणा का लाभ प्राप्त करने के लिए अभियोजन पक्ष को प्राथमिक रूप से आधारभूत तथ्य साबित करने होंगे।

2– रिट पिटीशन (सी0) नं0 15564/2017(यू), जसटिन उर्फ रेनजिथ बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया–इस विधि निर्णायज में माननीय केरल उच्च न्यायालय द्वारा यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा 29 पॉक्सो अधिनियम के आधार पर अभियोजन पक्ष उन तथ्यों को साबित करने से मुक्त नहीं किया जा सकता है जिन तथ्यों के आधार पर अपराध गठित होना कहा जा रहा है। अतः यह स्पष्ट है कि यह एक खण्डनीय प्रकृति की उपधारणा है, निश्चयात्मक प्रकृति की नहीं है। इस उपधारणा को आकृष्ट करने हेतु अभियोजन पक्ष को प्रारंभिक रूप से प्रथम दृष्टया अपना मामला साबित करना होगा तथा अभियुक्त अपने साक्ष्यों के माध्यम से इस उपधारणा को खण्डित कर सकता है।

22. **पॉक्सो अधिनियम के प्रावधान आकृष्ट करने हेतु अभियोजन पक्ष को सर्वप्रथम यह साबित करना होगा कि पीड़िता अवयस्क है अर्थात पीड़िता की आयु 18 वर्ष से कम है।**

23. पॉक्सो एक्ट, 2012 एवं पॉक्सो रूल्स, 2020 के प्रकाश में पॉक्सों एक्ट के प्रकरणों में पीड़िता की आयु निर्धारण के महत्व एवं आवश्यकता के सम्बन्ध में तथा पीड़िता की आयु निर्धारण के सम्बन्ध में चिकित्सीय परीक्षण आख्या की महत्ता के सम्बन्ध में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा प्रकीर्ण फौजदारी जमानत प्रार्थनापत्र सं0 2322/2024, निर्णीत दि0 16.4.2024 में विस्तारपूर्वक चर्चा करते हुए यह अवधारित किया है कि–

"Under the POCSO Act, issues relating to the age of the victims having serious consequences on the life and liberty of accused persons arise for consideration.

This Court has been given the finding that in the large number of cases the age of the victim set out in the prosecution case is often at variance with the age determined by the expert medical boards in accordance with the latest medical protocols. At times there are multiple contradictions in age related documents available with the prosecution. Numerous cases of false implication and abuse of POCSO Act have also been noticed. Runaway couples of young age are criminalized in the process. The age determined by the Medical Board has several benefits:-

(a) The said report may prove to be a reliable piece of evidence in the case.

(b) The said medical reports will assist the process of law and enable the courts to make a conclusive finding on the victim's age after considering all evidences in the record.

(c) The said medical reports determining the victim's age at the very outset will also help prevent misuse of the POCSO Act.

(d) The said medical reports are relatable to specific provisions of law.

The importance of medical reports in the criminal investigation process was recognized by the legislature while incorporating Section 164-A of the Code of Criminal Procedure. The provision is extracted hereunder:

"Section 164A. Medical examination of the victim of rape.-(1) Where, during the stage when an offence of committing rape or attempt to commit rape is under investigation, it is proposed to get the person of the woman with whom rape is alleged or attempted to have been committed or attempted,

examined by a medical expert, such examination shall be conducted by a registered medical practitioner employed in a hospital run by the Government or a local authority and in the absence of such a practitioner, by any other registered medical practitioner, with the consent of such woman or of a person competent to give such consent on her behalf and such woman shall be sent to such registered medical practitioner within twenty-four hours from the time of receiving the information relating to the commission of such offence.

(2) The registered medical practitioner, to whom such woman is sent shall, without delay, examine her person and prepare a report of his examination giving the following particulars, namely—

(i) the name and address of the woman and of the person by whom she was brought;

(ii) the age of the woman;

(iii) the description of material taken from the person of the woman for DNA profiling;

(iv) marks of injury, if any, on the person of the woman;

(v) general mental condition of the woman; and

(vi) other material particulars in reasonable detail,

(3) The report shall state precisely the reasons for each conclusion arrived at.

(4) The report shall specifically record that the consent of the woman or of the person competent, to give such consent on her behalf to such examination had been obtained.

(5) The exact time of commencement and completion of the examination shall also be noted in the report.

(6) The registered medical practitioner shall, without delay forward the report to the investigating officer who shall forward it to the Magistrate referred to in section 173 as part of the documents referred to in clause (a) of Sub-Section (5) of that section.

(7) Nothing in this section shall be construed as rendering lawful any examination without the consent of the woman or of any person competent to give such consent on her behalf."

In this context reference to Section 27 of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 can also be profitably made in support of the narrative. Section 27 of the POCSO Act reads as under:

"Section 27. Medical examination of a child.-(1) The medical examination of a child in respect of whom any offence has been committed under this Act, shall, notwithstanding that a First Information Report or complaint has not been registered for the offences under this Act, be conducted in accordance with section 164A of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1973).

(2) In case the victim is a girl child, the medical examination shall be conducted by a woman doctor.

(3) The medical examination shall be conducted in the presence of the parent of the child or any other person in whom the child reposes trust or confidence.

(4) Where, in case the parent of the child or other person referred to in sub-section (3) cannot be present, for any reason, during the medical examination of the child, the medical examination shall be conducted in the presence of a woman nominated by the head of the medical institution."

Wide ambit of the provision embraces various kinds of medical reports including a medical report determining the victim's age in POCSO Act offences. The provision contemplates that medical reports to determine the age of victims be drawn up by competent professionals from eminent institutions in accordance with the latest scientific parameters and medical protocols. Further the said medical reports have to be presented to the Court at the earliest for assisting the process of law.

False depiction of a victim as a minor in POCSO Act cases is an abuse of the process of court. Complications caused by false depiction of a victim as minor and contradictions in age related documents were also examined by this Court in **Monish Vs. State of U.P. and others (Criminal Misc. Bail Application No. 55026 of 2021).**

In many instances the accused-applicants have argued that medical determination of the victim's age was not got done deliberately as it would establish the majority of the victim and repudiate the prosecution case. By falsely

depicting the victim as a minor the accused persons are wrongly implicated under the stringent regime of the POCSO Act only to cause their indefinite imprisonment.

24. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस विधि निर्णायज में निम्नलिखित दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं–

1. The police authorities/investigation officers shall ensure that in every POCSO Act offence a medical report determining the victim's age shall be drawn up at the outset under Section 164A of the Criminal Procedure Code read with Section 27 of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012. The report may be dispensed with if medical opinion advises against it in the interests of the victim's health.

2. The medical report determining the age of the victim shall be created as per established procedure of law and in adherence to latest scientific parameters and medical protocol.

3. The medical report determining the age of the victim shall be submitted under Section 164-A of the Code of Criminal Procedure to the Court without delay.

4. The Director General (Health), Government of Uttar Pradesh, Lucknow shall also ensure that the doctors who comprise the Medical Board are duly trained and follow the established medical protocol and scientific parameters for determining the age of the victims in such cases. Constant research shall be done in this field to keep the reports in line with the latest scientific developments.

25. उपरोक्त के अतिरिक्त आयु निर्धारण के सम्बन्ध में विधिक स्थिति निम्नवत है–

25ए. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **जरनैल सिंह बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा (2013) 7 SCC 263** में यह अवधारित किया गया है कि अपहरण व बलात्कार के मामलों की पीड़िता की आयु का निर्धारण उन्हीं आधारों पर किया जायेगा जिस आधार पर किशोर अपचारी की आयु निर्धारित की जाती है।

26. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2007 के नियम–12 के अनुसार आयु निर्धारण हेतु तीन प्रकार के प्रलेखीय दस्तावेज में अंकित की गयी जन्मतिथि पर विश्वास किया जा सकता है जो कि वरीयता क्रम के अनुसार निम्न प्रकार है :–

1. मेट्रीकुलेशन या समकक्ष परीक्षा का प्रमाण–पत्र, यदि यह उपलब्ध न तो तब,

2. उस स्कूल के द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण–पत्र जहां से बालक ने सबसे पहले शिक्षा पायी हो, परन्तु यदि यह भी उपलब्ध न हो तब,

3. किसी स्थानीय निकाय अथवा पंचायत के द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण–पत्र।

26ए. उपरोक्त तीनों में से यदि कोई भी प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध न हो तो बालक की आयु का निर्धारण चिकित्सीय राय के आधार पर किया जायेगा।

27. पीड़िता/अवयस्क की आयु निर्धारण के सम्बन्ध में किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा–94(2) में निम्न प्रावधान किया गया है–

27ए. **धारा–94(2) अवधारणा**–यदि समिति या बोर्ड को आयु के बारे में कोई सन्देह होता है और ऐसा करने के लिए उनके पास युक्ति–युक्त आधार है कि जो बालक उनके समक्ष लाया गया है उसकी आयु ठीक नहीं बताई जा रही है तो ऐसा संदेह होने पर समिति या बोर्ड बालक की आयु का अवधारण करने के लिये निम्नलिखित को इसके लिये साक्ष्य प्राप्त करने के लिये भेज देगा :–

(i) विद्यालय का प्रमाण–पत्र या सम्बद्व परीक्षा बोर्ड से माध्यमिक या समकक्ष का प्रमाण–पत्र जो भी उपलब्ध हो सके।

(ii) नगर निगम या नगरपालिका या नगर पंचायत द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण–पत्र।

(iii) अगर उपरोक्त (i) एवं (ii) में से कोई भी प्राप्त नहीं होने की स्थिति में समिति या बोर्ड चिकित्सीय जांच के आधार पर आयु की अवधारण करेगा। समिति या बोर्ड के आदेश पर किया गया ऐसा आयु अवधारण परीक्षा आदेश की तारीख से पन्द्रह दिन में पूरा किया जायेगा।

28. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा–94(2)(I) के अनुसार अब पीड़िता के द्वारा शिक्षा ग्रहण किये गये किसी भी विद्यालय का प्रमाण–पत्र उसकी आयु निर्धारण के उद्देश्य से साक्ष्य में ग्राह्य होगा। इस अधिनियम के अन्तर्गत अब यह आवश्यक नहीं रह गया है कि पूर्व में किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण) नियमावली 2007 के नियम 12 की भॉति किशोर अपचारी की आयु निर्धारण हेतु उसके मैट्रिकुलेशन या समकक्ष परीक्षा का प्रमाणपत्र अथवा उस स्कूल द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण–पत्र, जहां से बालक ने सबसे पहले शिक्षा पायी हो, अथवा स्थानीय निकाय या पंचायत द्वारा निर्गत जन्म प्रमाणपत्र को वरीयता क्रम में देखा जाये। अब किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा–94(2) के अनुसार किसी भी विद्यालय द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र या सम्बद्ध परीक्षा बोर्ड से या समकक्ष का प्रमाण–पत्र, जो भी उपलब्ध हो सके, पर्याप्त है।

29. इस सम्बन्ध में निम्नलिखित विधि निर्णायज ध्यातव्य है :–

1. कंचन दास बनाम राज्य 1991 Cr.L.J, 2038 दिल्ली उच्च न्यायालय में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पीड़ित की आयु के सम्बन्ध में प्रस्तुत जन्म प्रमाण–पत्र अथवा मौखिक साक्ष्य संदिग्ध हो तो ऐसी स्थिति में रेडियोलाजिस्ट की राय स्वीकार की जाती है।

2. जयमाला बनाम गृह सचिव जम्मू एण्ड कश्मीर राज्य 1982 (2) एस0सी0सी0 पेज 538 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आर्थोपेडिक विशेषज्ञ द्वारा पीड़ित की आयु निर्धारित होती है, न्यायालय उससे दो वर्ष अधिक अथवा दो वर्ष कम मान सकती है।

3. महादेव बनाम महाराष्ट्र राज्य(एस0सी0) 2013(14) एस0सी0सी0 पेज 637 में अभिनिर्धारित किया गया है कि मेट्रीकुलेशन, स्कूल प्रमाण–पत्र (प्रथम स्कूल), जन्म प्रमाण–पत्र (नगरपालिका/पंचायत), मेडिकल बोर्ड का मत (यदि कोई उपरोक्त अभिलेख न हो) आयु निर्धारित करते समय उपरोक्त क्रम का पालन किया जायेगा। अर्थात माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2013 में बालक की आयु निर्धारण हेतु जो साक्ष्य ग्रहण करने का वरीयता क्रम निर्धारित किया गया, वह निम्नवत है–

1– मैट्रिकुलेशन का प्रमाणपत्र
2– प्रथम स्कूल का प्रमाणपत्र
3– नगर पालिका/नगर पंचायत द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण–पत्र
4– यदि उपरोक्त में से कोई भी अभिलेख न हो तो मेडिकल बोर्ड का मत।

अर्थात बालक की आयु के सम्बन्ध में यदि उपरोक्त क्रमांक 1 से 3 तक कोई भी अभिलेख उपस्थित नहीं हैं, तो उस स्थिति में मेडिकल बोर्ड के अभिमत पर वरीयता दी जायेगी।

4. श्रीमती भूरा देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2018 इलाहाबाद ला जनरल पेज 760 के मामलें में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि चिकित्सीय प्रमाण–पत्र पर मैट्रिक परीक्षा बोर्ड के द्वारा दिये गये प्रमाण–पत्र या स्कूल में प्रथम प्रवेश के समय के प्रमाण–पत्र को वरीयता दी जानी चाहिए।

29ए. इसके अतिरिक्त आयु निर्धारण के सम्बन्ध में निम्नलिखित विधि निर्णायज भी उल्लेखनीय हैं–

5. **चन्द्रिका प्रसाद बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0, प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 482 नं0 8683/2024, निर्णीत दि0 06.01.2025**–इस विधि निर्णायज के पैरा 8 व 11 में माननीय न्यायमूर्ति श्री सौरभ लावनिया द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि–

8. It is also stated that on the issue of age, the document on which the prosecution is placing reliance is liable to be ignored in view of the aforesaid facts of the case as also that the said document relates to Class X and the opposite party no. 2/victim before the Court concerned while making statement under Section 164 Cr.P.C. stated that she is Class X passed and further, the prosecution has no evidence to establish that the date of birth i.e. 07.12.1996 was correctly mentioned in the marksheet of Class X and as such taking note of these facts of the case, the benefit of the various pronouncements/judgments related to determination of age including the case(s) passed by the Hon'ble Apex Court Birad Mal Singhvi Vs. Anand Purohit, reported in (1988) Supp SCC 604, State of Punjab Vs. Gurmit Singh, reported in (1996) 2 SCC 384, Suhani Vs. State of U.P. delivered on 26.04.2018 in Civil Appeal No.4532 of 2018 arising out of SLP(C) No.8001 of 2018 and in the case of Manak Chand alias Mani Vs. State of Haryana, reported in 2023 SCC OnLine SC 1397, shall be extended in favour of the applicant and the opposite party no.2/victim both.

11. Upon consideration of the aforesaid as also the observations in relation to determination of age rendered in the case of Birad Mal Singhvi (Supra), Gurmit Singh (Supra), Suhani (Supra) and Manak Chand alias Mani (Supra) as also the submissions made by learned Counsel for the parties as also in the case of Ramgopal and others Vs. State of Madhya Pradesh, (2022) 14 SCC 531, Gian Singh Vs. State of Punjab [2012 10 SCC 303], Mohd. Ibrahim Vs. State of U.P., 2022 SCC Online ALL 106, Gold Quest International Ltd. Vs. State of Tamilnadu, 2014 (15) SCC 235, B.S. Joshi Vs. State of Haryana, 2003 (4) SCC 675, Jitendra Raghuvanshi Vs. Babita Raghuvanshi, 2013(4) SCC 58, Madhavarao Jiwajirao Scindia Vs. Sambhajirao Chandrojirao Angre, 1988 1 SCC 692, Nikhil Merchant Vs. C.B.I. and another, 2008(9) SCC 677, Manoj Sharma Vs. State and others, 2008(16) SCC 1, State of M.P. Vs. Laxmi Narayan and others, 2019(5) SCC 688, Narindra Singh and others Vs. State of Punjab and another, (2014) 6 SCC 466, Manoj Kumar and others Vs. State of U.P and others (2008) 8 SCC 781, Union Carbide Corporation and others Vs. Union of India and others (1991) 4 SCC 584, Manohar Lal Sharma Vs. Principal Secretary and others (2014) 2 SCC 532 and Supreme Court Bar Association Vs. Union of India (1998) 4 SCC 409 as also taking note of the nature of dispute/crime and also that if the criminal proceedings are allowed to continue then in that eventuality matrimonial life of opposite party no. 2/victim and the applicant as also the future of three children would be ruined and further, that in the given facts of the case chances of conviction are extremely bleak, this Court is of the view that no purpose would be served in keeping the proceedings pending before the trial court. Accordingly, present application is allowed. Consequently, the entire proceedings arising out of FIR No./Case Crime No. 4 of 2014, quoted above, are hereby quashed qua the applicant.

6. **बिरदमल सिंघवी बनाम आनन्द पुरोहित, 1988 एस0सी0सी0 604**–इस विधि निर्णायज में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि–

(a) To render a document admissible under section 35 of the Evidence Act three conditions must be satisfied, firstly, entry that is relied on must be one in a public or other official book, register or record, secondly, it must be an entry stating a fact in issue or relevant fact; and thirdly, it must be made by a public servant in discharge of his official duty, or any other person in performance of a duty specially enjoined by law.

(b) An entry relating to date of birth made in the school register is relevant and admissible under section 35 of the Act, but the entry regarding the age of 3 person in a school register is of not much evidentiary value to prove the age of the person in the absence of the material on which the age was recorded.
(c) Parents or near relations having special knowledge are the best persons to depose about the date of birth of a person. If entry regarding date of birth in the school's register is made on the information given by parents or someone having special knowledge of the fact, the same would have probative value.
(d) The date of birth mentioned in the scholar's register has no evidentiary value unless the person who made the entry or who gave the date of birth is examined.
(e) The entry contained in the admission form or in the scholar register must be shown to be made on the basis of information given by the parents or a person having special knowledge about the date of birth of the person concerned. If the entry in the scholar's register regarding date of birth is made on the basis of information given by parents, the entry would have evidentiary value but if it is given by a stranger or by Someone else who had no special means of knowledge of the date of birth, such an entry will have no evidentiary value.

30. **पॉक्सो अधिनियम के प्रावधान आकृष्ट करने के लिए एवं अधिनियम की धारा 29 में प्रावधानित उपधारणा का लाभ प्राप्त करने के लिए अभियोजन पक्ष को सर्वप्रथम यह साबित करना होता है कि घटना की तिथि पर पीड़िता अवयस्क थी।**

31. इस वाद में पीड़िता की आयु के सम्बन्ध में साक्ष्य एवं तथ्यगत स्थिति निम्न प्रकार है–

32. तहरीर प्रदर्श क–1 में पीड़िता की आयु 14 वर्ष अंकित है।

33. धारा 161 दं0प्र0सं0 के बयान में पीड़िता ने अपनी आयु 15 वर्ष होना अभिकथित किया है।

34. धारा 164 दं0प्र0सं0 के बयान में पीड़िता ने अपनी आयु 15 वर्ष होना अभिकथित किया है।

35. एक्सरे रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता की रेडियोलाजिकल आयु 16 वर्ष है। मोदी के जूरिसप्रूडेंस के अनुसार रेडियोलाजिकल आयु से वास्तविक दो वर्ष कम अथवा दो वर्ष अधिक हो सकती है अर्थात यदि पीड़िता की रेडियोलाजिकल आयु 16 वर्ष है तो उसकी वास्तविक आयु 14 वर्ष भी हो सकती है और 18 वर्ष भी हो सकती है।

36. पी0डब्लू0 1 के रूप में परीक्षित जानकी, जो कि पीड़िता की मॉ है, उसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में घटना के समय पीड़िता की आयु 14 वर्ष होना अभिकथित किया गया है।

37. पी0डब्लू0 2 स्वयं पीड़िता है, जिसने दिनांक 26.2.2024 को अंकित अपनी मुख्य परीक्षा में अपनी आयु 19 वर्ष होना कहा है, जबकि घटना वर्ष 2022 की है अर्थात बयान अंकित होने से दो वर्ष पूर्व की है। इस प्रकार मुख्य परीक्षा के बयान के अनुसार घटना के समय पीड़िता की आयु लगभग 17 वर्ष थी।

38. प्रतिपरीक्षा में पीड़िता द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि मैं घटना के समय बालिग थी और अच्छा बुरा समझती थी।

39. पीड़िता के कोई शैक्षणिक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। एक्सरे रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता की रेडियोलाजिकल आयु 16 वर्ष है जो 14 वर्ष भी हो सकती है और 18 वर्ष भी। पीड़िता ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया गया है कि वह घटना के समय बालिग थी।

40. **इस प्रकार अभियोजन पक्ष घटना के समय पीड़िता को अवयस्क होना संदेह से परे साबित नहीं कर सका है।**

41. इस वाद का घटनाक्रम निम्न प्रकार है—

42. प्रथम सूचना रिपोर्ट हेतु प्रस्तुत तहरीर के अनुसार अभियोजन कथानक यह है कि विपक्षिणी सीमा का मायका व वादिनी का मायका झण्डिया मजरा कौरासा थाना—रामपुर कला, जनपद—सीतापुर का है, जिससे विपक्षिणी सीमा से वादिनी का रिश्ता है। विपक्षी संख्या—2 अजय पुत्र रामसहाय सीमा का फुफेरा भाई है और विपक्षी संख्या—3 बाबू पुत्र मुल्लू सीमा का सगा भांजा है। विपक्षी संख्या—1 सीमा हमेशा चोरी से वादिनी की पुत्री उम्र 14 वर्ष से फोन पर बातचीत कराया करती थी। विपक्षिणी सीमा के सह पर, जब दिनांक 13.05.2022 को वादिनी दवा देने गयी थी, तभी समय करीब 02.30 बजे दिन में विपक्षी अजय के साथ सीमा ने भिजवा दिया। वादिनी घर आयी तो पुत्री को गायब देखकर गाँव घर व रिश्तेदारी में पता लगाया, कहीं पता नहीं चलने पर वादिनी ग्राम प्रधान के पास गयी तो प्रधान ने चौकी पर फोन किया, जिसपर 100 नम्बर पर पुलिस आयी और विपक्षी अजय के फोन नम्बर 9996879567 पर बात किया तो अजय आले—वाले बताता रहा, जिसपर पुलिस द्वारा टाइट करने पर विपक्षी कल रात ही वादिनी की पुत्री को वादिनी की फुफुवा सास के घर पर छोड़कर भाग गया। विपक्षी अजय फोन पर वादिनी जान से मार डालने की धमकी दे रहा है।

43. धारा 161 दं0प्र0सं0 के बयान में पीड़िता द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि मेरी उम्र 15 वर्ष है। मेरे पिता की मृत्यु करीब 15 वर्ष पहले बीमारी के कारण हो गयी थी। मैं अपने पड़ोस में रहने वाली सीमा पत्नी शंकर के फुफेरे भाई अजय पुत्र रामसहाय को करीब दो महीने से जानती हूँ। सीमा के फोन से ही मैं अजय से बात करती थी। मैं करीब एक साल पहले सीमा के गाँव अंगेठा गयी थी, तो वहाँ पर अजय भी आया था। अजय जब हमसे बात करता था तो कहता था कि बाबू मामा कहते हैं कि उससे बात कर लिया करो। घटना वाले दिन मेरी मम्मी जानकी व चाचा सुशील दवाई लेने गये थे। अजय मेरी मम्मी के जाने से पहले ही सीमा के घ ार आ गया था। फिर मेरी मम्मी के जाने के बाद करीब आधा घण्टे बाद सीमा मेरे घर आयी और कहा मेरे घर चलो तुम्हारी मम्मी का फोन आया है, ज्यादा बीमार है। सिधौली देखने चलो इस बात पर सीमा और अजय ही मौजूद थे। मैं करीब आधा घण्टा उनके घर रुकी। इस दौरान अजय ने मेरे साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। मैं सीमा के कहने पर सीमा के घर से अजय के साथ मोटर साइकिल पर बैठकर सिधौली गयी थी। मैं अपने घर से सिधौली दो बजे दिन में गयी थी, फिर सिधौली से अजय के साथ वापस जा रही थी लेकिन अजय मुझे घुमाता रहा। मुझसे कहा कि मेरे घर चलो तो मैंने जाने से मना कर दिया और मैं रोने लगी तो बोला चलो तुम्हारी बुआ के घर, मेरी बुआ खरबलिया में है, खरबलिया के पास ही अजय ने मेरे साथ गलत काम किया, फिर मुझे बुआ के घर छोड़ गया, मैं तीसरे दिन अपने घर पहुँची। तब मैंने सारी बात अपनी माँ को बतायी।

44. धारा 164 दं0प्र0सं0 के बयान में पीड़िता द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि मेरी उम्र 15 वर्ष है। मैं झण्डिया की निवासी हूँ। मैं कक्षा—5 तक पढ़ी हूँ। मेरी मम्मी और चाचा की तबियत खराब थी, तो वह लोग दवाई लेने गये। घटना दिनांक 11.05.2022 की है। मैं उस समय घर पर अकेली थी। सीमा मुझे बुलाने आयी थी। उसने मुझसे बोला कि तुम्हारी मम्मी की तबियत ज्यादा खराब हो गयी है, चलो देखने। मैं सीमा के साथ उसके घर गयी, वहाँ पर अजय भी था। अजय मुझे जबरदस्ती सिधौली ले गये, बोला कि शादी करेंगे। मैंने मना किया और बोला कि मुझे घर छोड़ दो। अजय ने मेरे साथ गलत काम किया। उसके बाद वह मुझे खरबलिया में बुआ के घर छोड़ दिया।

45. अभियोजन पक्ष की ओर से तथ्य के कुल दो साक्षी प्रस्तुत किये गये हैं। पी0डब्लू0 1 वादिनी मुकदमा एवं पीड़िता की मॉ है। पी0डब्लू0 2 स्वयं पीड़िता है।

46. पी0डब्लू0 1 के रूप में परीक्षित साक्षी जानकी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह अभिकथित किया गया है कि मैं पढ़ी–लिखी नहीं हूँ। घटना की तारीख मुझे याद नहीं है। घटना को नवां महीना चल रहा है। घटना वाले दिन मैं बीमार थी। मैं अस्पताल गयी थी। जब मैं अस्पताल में थी, तब मेरे घर पर छोटे–छोटे बच्चे थे। फिर मेरी चचेरी बहन सीमा ने अजय को फोन करके बुलाया, सीमा ने मेरी बेटी पीड़िता, जिसकी उम्र घटना के समय चौदह वर्ष थी, उससे कहा कि तुम्हारी मम्मी को होश नहीं आ रहा है, उसको सीतापुर ले गये हैं। तुम्हारी मम्मी ने तुमको बुलाया है। तब अजय मेरी बेटी को लेकर सिधौली आये। दो–चार अस्पतालों में ढूँढ़ा, देखा नहीं मिले, तब अजय व मेरी बेटी सिधौली में रुक गये। जब मैं अस्पताल से घर आयी तो मेरी बेटी नहीं मिली तो मैंने उसको ढूंढ़ना शुरु किया, फिर मैं प्रधान के यहाँ गयी तो प्रधान ने 100 नम्बर पर फोन मिलाकर पुलिस बुलायी। जब पुलिस ने अजय को फोन पर टाइट किया, तब अजय मेरी लड़की को खरबलिया गाँव में मेरी फुफुवा सास के यहाँ छोड़कर भाग गये।

47. इस प्रकार पी0डब्लू0 1 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है, तथा प्रतिपरीक्षा में यह अभिकथित किया गया है कि मेरे किसी परिवार वाले का नहीं मालूम था कि मेरी बेटी अजय के साथ गयी है। जयचन्द की पत्नी रीनू ने देखा था कि मेरी बेटी को अजय ले गया है। जब मैं अस्पताल से घर वापस आयी और मेरी बेटी मुझे नहीं मिली तब मैं प्रधान के पास गयी, उनको बताया था।

48. प्रतिपरीक्षा के इस अंश को रेखांकित करते हुये बचाव पक्ष द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि वादिनी ने स्वयं पीड़िता को अभियुक्त के साथ जाते हुये नहीं देखा था, बल्कि रीनू ने देखा था, परन्तु रीनू को परीक्षित नहीं कराया गया है।

49. पी0डब्लू0 2 के रूप में परीक्षित साक्षी पीड़िता द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह अभिकथित किया गया है कि घटना की तारीख मुझे नहीं मालूम है। घटना के डेढ़ साल के ऊपर हो गया है। मेरे परिवार के बीच व अजय के परिवार से पूर्व से विवाद चल रहा था। मेरी मम्मी का अजय की मामा की लड़की सीमा के मध्य कहासुनी हुई थी। मेरी मम्मी बीमार थी। भगौतीपुर चौराहा पर अस्पताल में भर्ती थी। मैं अपनी मम्मी को देखने गयी थी। अस्पताल के पास से मैं अजय के साथ चली गयी थी। फिर अजय मुझे अपनी बुआ के घर पर खरबलिया छोड़कर चले गये थे। खरबलिया से मम्मी के साथ पुलिस वाले मुझे पकड़कर लाये थे। मुझसे पुलिस ने पूछताछ नहीं की थी। मम्मी ने मारने–पीटने की मुझे धमकी दी थी कि जो मैं बताऊं वहीं बयान दो। मैंने अपनी डाक्टरी कराने से डाक्टर को मना कर दिया था। मैं अजय से प्यार करती थी। इसी बात से मेरी माँ नाराज रहती थी। मेरा बयान मजिस्ट्रेट साबह ने कराया था। मेरे साथ अजय ने बिना मेरी मर्जी के कोई भी गलत काम नहीं किया था।

50. इस प्रकार इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है और साक्षी को शासकीय अधिवक्ता के अनुरोध पर पक्षद्रोही घोषित किया गया। साक्षी ने अपने बयान धारा–161 द0प्र0सं0 को अस्वीकार करते हुये ऐसा कोई बयान विवेचनाधिकारी को देने से इंकार किया है। संक्षेप में पी0डब्लू0–2 पीड़िता का साक्ष्य, अभियोजन कथानक, मुकदमा की प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा उसी के बयान धारा–161 द0प्र0सं0 व 164 दं0प्र0सं0 की निरन्तरता में नहीं है। अतः पी0डब्लू0–2 पीड़िता साक्ष्य आरोपों की अभिपुष्टि हेतु अप्रासांगिक एवं पूर्ण रूप से अपर्याप्त है।

51. उपरोक्तानुसार यह स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त पीड़िता को अपने साथ भगाकर ले गया था। धारा 161 दं0प्र0सं0 व 164 दं0प्र0सं0 में पीड़िता ने अभियुक्त द्वारा उसे जबरदस्ती ले जाने एवं गलत काम करने का कथन किया है, परन्तु न्यायालय में दिये गये बयान में पीड़िता पक्षद्रोही हो गयी है। दौरान बहस पीड़िता न्यायालय उपस्थित आयी, जिसके द्वारा यह कहा गया कि उसने अभियुक्त के साथ शादी कर ली है और वह अभियुक्त के साथ सुखपूर्वक रह रही है। इस प्रकार साक्षियों के बयानों में निरन्तर संशोधन, परितर्वन एवं परिवर्धन आये हैं। बयानों में संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन के सम्बन्ध में विधिक स्थिति निम्नवत है–

1– **नागेश बनाम कर्नाटक राज्य एस0सी0, 2012 (77) ए0सी0सी0, 900**– इस विधि निर्णायज में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि सम्पूर्ण साक्ष्य में से मात्र एक अंश नहीं लिया जाना चाहिए। समस्त बयान को समग्रता में लिया जाना चाहिए।

2– **प्रभात मराक बनाम त्रिपुरा राज्य, गुवाहाटी एच0सी0 2011 सी0आर0एल0जे0, 1844**–इस विधि निर्णायज में माननीय न्यायालय द्वारा यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि गवाह हर स्तर पर अपने बयान में संशोधन, परिवर्धन करता है तो ऐसे गवाह के बयान पर सजा नहीं दी जा सकती है।

3– **दुर्गाचन्द्र बनाम उ0प्र0 राज्य इलाहाबाद हाईकोर्ट, 2005 (54) ए0सी0सी0 765**–इस विधि निर्णायज में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि आपराधिक विचारण में अभियोजन का दायित्व होता है कि वह अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करें।

4– **उ0प्र0 राज्य बनाम नंदू विश्वकर्मा एस0सी0, 2009(66), ए0सी0सी0, 652**–इस विधि निर्णायज में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि आपराधिक विचारण में, निर्णय के समय यदि दो दृष्टिकोण सम्भव हो, एक अभियुक्त के पक्ष में और दूसरा अभियोजन के, ऐसी स्थिति में अभियुक्त के पक्ष वाला दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

5– **अरशद हुसैन बनाम राजस्थान राज्य ए0आई0आर0, 2013 एस0सी0पेज 3001**– इस विधि निर्णायज में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि कथित अपराध का तरीका एवं उत्पत्ति संदिग्ध हो तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त को दण्डित नहीं किया जाना चाहिये।

6– **राज कुमार सिंह उर्फ राजू बनाम राजस्थान राज्य ए0आई0आर0 2013 एस0सी0 3150** –इस विधि निर्णायज में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि संदेह चाहे कितना भी गम्भीर हो किन्तु यह साबित होने का स्थान नहीं ले सकता। यदि साक्षियों के बयानों में गम्भीर विरोधाभाष, संशोधन परिवर्तन एवं परिवर्धन है तो ऐसे मामले में दोषसिद्व प्रदान की जानी चाहिये।

7– **हमजा बनाम मोहम्मद कुटी उर्फ मनी ए0आई0आर0 2013 एस0सी0 3173**–इस विधि निर्णायज में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अवर न्यायालय का दोषमुक्त का निर्णय मात्र इसलिये नहीं पलट दिया जायेगा क्योंकि विपरीत मत सम्भव है।

8– **सुजीत विश्वास बनाम असम राज्य ए0आई0आर0 2013, एस0सी0 पेज 3817**–इस विधि निर्णयज में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह विधि सिद्वांत प्रतिपादित किया गया है कि यदि दो सम्भावनायें एवं दृष्टिकोण सम्भव हो तो संदेह का लाभ सदैव अभियुक्त को मिलना चाहिये। दण्डित करने वाले न्यायालय को सदैव यह सुनिश्चित करना चाहिये कि

''सम्भाव्यता'' एवं '' सुनिश्चितता'' के मध्य का अन्तराल निश्चित एवं असंदिग्ध साक्ष्यों से साबित हो।

9— **सुनील कुमार, शम्भूदयाल गुप्ता बनाम महाराष्ट्र, राज्य 2011 (72) ए0सी0सी0 पेज 699, सुप्रीम कोर्ट—** इस विधि निर्णायज में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि साक्षियों के बयानों में निरन्तर संशोधन, परिवर्धन किया गया है, तो ऐसा साक्षी भरोसे के लायक नहीं है। यदि दो दृष्टिकोण सम्भव है, तो अभियुक्त पक्ष वाला दृष्टिकोण अपनाना चाहिये।

52. अतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। अतः अभियुक्त लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त होने का पात्र है।

आदेश

1. विशेष सत्र परीक्षणीय वाद संख्या—54/2022, मुकदमा अपराध संख्या—182/2022, थाना सिधौली, जिला सीतापुर के प्रकरण में अभियुक्त अजय को धारा 363, 366, 376, 507 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के आरोप से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

2. अभियुक्त जमानत पर है। उसके जमानतनामें निरस्त किये जाते हैं एवं प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

दिनांक—30.09.2025 **(भगीरथ वर्मा)**
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 14/
विशेष न्यायाधीश, (पॉक्सो एक्ट) सीतापुर
JO CODE- UP6207

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक—30.09.2025 **(भगीरथ वर्मा)**
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 14/
विशेष न्यायाधीश, (पॉक्सो एक्ट) सीतापुर
JO CODE- UP6207

प्रशान्त/

Digitally signed by BHAGIRATH VERMA
Date: 2025.10.08 17:18:01 NPT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Sitapur